

संख्या नं. 2/26/19

तारीख रजु. 19/4/19

रत्नसिंह

बनाम

धनराम उर्फ धनराज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.03.2019	<p>वकील सायल उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील सायल ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0नं0 1007,1008,1010,1063,1072 वाके ग्राम सुण्डाना तहसील कठूमर में विवादित आराजियात में शामलात में काश्त संबंधी कार्य करने में व्यवान पैदा ना करें जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करें तथा बिना तकसीम कराये दीगर व्यक्ति को रहनवय ना करें तथा गैरसायल नं.25 उक्त आराजी बाबत कोई दस्तावेज वो पंजीबद्ध ना करें। रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 16.04.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 16.04.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	
10/4/19	<p>वकील सायल उपस्थित। वकील सायल ने मूल वाद के साथ शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0नं0 1007,1008,1010,1063,1072 वाके ग्राम सुण्डाना तहसील कठूमर में विवादित आराजियात में शामलात में काश्त संबंधी कार्य करने में व्यवान पैदा ना करें जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करें तथा बिना तकसीम कराये दीगर व्यक्ति को रहनवय ना करें तथा गैरसायल नं.25 उक्त आराजी बाबत कोई दस्तावेज वो पंजीबद्ध ना करें। रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 16.04.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 16.04.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी

कठूमर (अलवर)

कठूमर (अलवर)